

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2671

दिनांक 22.12.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन के अंतर्गत उद्देश्य

2671. श्री एम. बदरुद्दीन अजमल:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या वर्ष 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों के सभी परिवारों को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने और उनका उपयोग करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से केन्द्र प्रायोजित योजना जल जीवन मिशन (जेजेएम) आरम्भ की गई थी;
- (ख) यदि हां, तो इस योजना की अब तक की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या यह योजना वर्ष 2024 तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो पाएगी क्योंकि इस योजना के कार्यान्वयन में अत्यधिक भ्रष्टाचार की कई रिपोर्टें आई हैं और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
- (घ) इस संबंध में क्या निवारक और प्रभावी उपाय किए गए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में उन परिवारों का प्रतिशत कितना है जिनके पास वर्तमान में पाइप से पानी का कनेक्शन है; और
- (ङ) वर्तमान वर्ष सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान जल जीवन मिशन के लिए आबंटित और व्यय की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) से (घ) अगस्त, 2019 से, वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु पीने योग्य नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए, भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम) का कार्यान्वयन कर रही है।

जल जीवन मिशन की घोषणा के समय, 3.23 करोड़ (17%) परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, लगभग 7.52 करोड़ (38%) अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 19.12.2022 तक, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 10.75 करोड़ (55.54%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

“जल” राज्य का विषय होने के कारण जल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन और संचालन तथा अनुरक्षण के अधिकार राज्यों के पास हैं। इस प्रकार, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सवालों/शिकायतों आदि का निपटान किया जाता है। तदनुसार, अब तक अनियमितताओं/भ्रष्टाचार/शिकायतों के संबंध में प्राप्त शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकार को भेज दिया गया है। जेजेएम के विभिन्न कार्यों और घटकों के कार्यान्वयन की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए आवधिक आधार पर क्षेत्रीय दौरे भी किए जाते हैं। जेजेएम डैशबोर्ड भी विकसित किया गया है जहां राज्य, जिला और पंचायत स्तरों पर मिशन की प्रगति की जानकारी पब्लिक डोमेन में प्रदान की जाती है। सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर भी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के साथ समाधान के लिए कार्रवाई की जाती है।

(ड) पूर्ववर्ती एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत 2017-18 और 2018-19 में तथा जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 (18.12.2022 की स्थिति के अनुसार) में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित केन्द्रीय निधि, उनके द्वारा आहरित और संसूचित उपयोग के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

अनुबंध

दिनांक 22.12.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारंकित प्रश्न संख्या 2671 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

एनआरडीडब्ल्यूपी: वर्ष 2017-18 में आबंटित केंद्रीय निधि, आहरित निधि और संसूचित उपयोग

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय हिस्सा					राज्य के हिस्से के तहत व्यय
		अथशेष	आबंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.05	0.43	एनडी	1.05	एनआर	एनआर
2.	आंध्र प्रदेश	59.51	159.51	233.09	293.20	267.03	205.71
3.	अरुणाचल प्रदेश	12.40	77.51	63.08	75.48	62.93	14.36
4.	असम	306.04	524.10	474.80	782.05	387.20	48.27
5.	बिहार	87.29	394.53	355.60	442.89	216.10	173.26
6.	छत्तीसगढ़	26.86	64.33	49.84	76.70	49.89	61.90
7.	गोवा	3.23	2.32	एनडी	3.23	1.83	5.98
8.	गुजरात	25.42	231.62	290.86	316.29	315.14	524.89
9.	हरियाणा	28.38	118.95	88.82	117.20	87.34	79.03
10.	हिमाचल प्रदेश	30.09	66.02	101.85	131.94	129.42	34.48
11.	जम्मू एवं कश्मीर	57.31	222.26	325.33	382.64	344.86	45.01
12.	झारखंड	79.46	172.68	209.09	297.62	171.47	206.54
13.	कर्नाटक	89.25	290.86	365.81	457.26	272.77	1,173.64
14.	केरल	2.71	56.88	95.16	97.87	95.53	87.55
15.	मध्य प्रदेश	35.92	195.67	135.51	171.43	163.35	144.18
16.	महाराष्ट्र	172.82	338.13	282.47	455.29	187.84	270.32
17.	मणिपुर	28.38	32.20	66.25	95.67	68.30	12.25
18.	मेघालय	1.94	41.86	85.91	87.92	87.43	67.42
19.	मिजोरम	0.14	22.40	46.10	46.24	25.93	3.40
20.	नागालैंड	0.89	27.66	17.88	18.77	18.77	3.92
21.	ओडिशा	51.80	102.69	83.59	136.34	93.48	90.93
22.	पुदुचेरी	1.27	0.82	एनडी	1.27	एनआर	एनआर
23.	पंजाब	26.64	115.25	173.29	199.93	103.64	149.47
24.	राजस्थान	550.09	891.95	714.24	1,265.55	728.81	1,253.68
25.	सिक्किम	4.75	9.30	17.51	22.45	11.60	3.30
26.	तमिलनाडु	6.39	121.61	185.10	192.09	191.40	216.03
27.	तेलंगाना	35.71	775.01	843.56	886.77	592.47	570.50
28.	त्रिपुरा	6.54	32.26	83.93	91.35	42.77	6.73
29.	उत्तर प्रदेश	257.82	539.09	472.52	730.42	616.77	537.42
30.	उत्तराखंड	32.92	68.42	110.28	143.20	138.20	31.81
31.	पश्चिम बंगाल	20.78	810.48	996.68	1,017.46	599.45	1,035.51

स्रोत: जेजेएम - आईएमआईएस

एनडी: आहरित नहीं

एनआर: सूचित नहीं

एनआरडीडब्ल्यूपी: वर्ष 2018-19 में आबंटित केंद्रीय निधि, आहरित निधि और संसूचित उपयोग

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय हिस्सा					राज्य के हिस्से के तहत व्यय
		अथशेष	आबंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.05	0.62	0.31	1.36	1.36	4.85
2.	आंध्र प्रदेश	26.17	197.56	185.85	379.63	186.28	167.61
3.	अरुणाचल प्रदेश	12.54	96.95	90.89	116.68	97.21	13.25
4.	असम	394.85	567.89	300.76	722.29	336.25	26.68
5.	बिहार	226.79	476.63	234.84	672.93	148.48	211.30
6.	छत्तीसगढ़	26.81	95.47	48.19	111.62	43.41	36.62
7.	गोवा	1.40	3.34	1.67	5.90	3.07	2.83
8.	गुजरात	1.15	237.09	222.27	718.83	223.42	495.41
9.	हरियाणा	29.86	81.88	76.76	199.80	94.48	93.18
10.	हिमाचल प्रदेश	0.01	91.12	85.43	109.61	85.43	24.17
11.	जम्मू एवं कश्मीर	37.78	309.07	249.34	306.75	251.88	19.63
12.	झारखंड	126.15	207.97	85.12	312.20	136.73	100.93
13.	कर्नाटक	184.50	331.04	276.06	1,259.18	433.95	798.62
14.	केरल	2.34	90.37	84.86	170.68	84.62	83.48
15.	मध्य प्रदेश	8.08	274.09	243.62	557.99	250.43	306.29
16.	महाराष्ट्र	267.46	474.16	239.06	902.38	258.40	395.86
17.	मणिपुर	27.37	40.25	37.73	72.96	65.11	7.86
18.	मेघालय	0.35	52.43	49.15	54.73	48.71	5.23
19.	मिजोरम	20.31	28.00	26.25	51.68	46.46	5.12
20.	नागालैंड	0.00	34.72	17.36	19.85	17.36	2.49
21.	ओडिशा	42.86	154.99	128.82	393.60	172.45	221.92
22.	पुदुचेरी	1.27	1.29	एनडी	1.27	एनआर	एनआर
23.	पंजाब	96.28	125.97	119.41	321.98	112.78	106.29
24.	राजस्थान	536.75	692.13	655.41	2,079.21	878.48	887.05
25.	सिक्किम	10.85	11.62	10.89	25.76	21.06	4.02
26.	तमिलनाडु	0.68	180.99	167.31	531.01	168.92	363.02
27.	तेलंगाना	294.30	131.40	123.18	711.71	420.90	294.23
28.	त्रिपुरा	48.58	55.18	51.73	108.29	53.88	7.98
29.	उत्तर प्रदेश	113.65	713.95	670.72	1,388.86	755.08	604.49
30.	उत्तराखंड	5.00	99.17	92.97	130.88	91.85	32.91
31.	पश्चिम बंगाल	418.02	917.82	890.28	1,670.68	547.47	362.38

स्रोत: जेजेएम - आईएमआईएस

एनडी: आहरित नहीं

एनआर: सूचित नहीं

जल जीवन मिशन: वर्ष 2019-20 में आबंटित केंद्रीय निधि, आहरित निधि और संसूचित उपयोग

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय हिस्सा					राज्य के हिस्से के तहत व्यय
		अथशेष	आबंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	1.78	0.50	0.50	एनआर	एनआर
2.	आंध्र प्रदेश	25.74	372.64	372.64	398.38	121.62	54.80
3.	अरुणाचल प्रदेश	6.22	132.55	177.47	183.69	126.14	13.35
4.	असम	359.35	694.95	442.36	811.32	358.87	29.01
5.	बिहार	313.16	787.31	417.35	730.51	473.33	150.34
6.	छत्तीसगढ़	31.58	208.04	65.82	97.40	39.23	37.55
7.	गोवा	0.00	7.57	3.08	3.08	3.08	6.17
8.	गुजरात	0.00	390.31	390.31	390.31	384.61	394.74
9.	हरियाणा	10.13	149.95	149.95	160.08	69.29	73.80
10.	हिमाचल प्रदेश	0.00	148.67	205.83	205.83	197.87	15.46
11.	जम्मू एवं कश्मीर	27.14	322.03	322.03	349.17	200.25	24.01
12.	झारखंड	75.79	267.69	291.19	382.97	114.58	119.71
13.	कर्नाटक	26.61	546.06	546.06	572.67	492.24	297.87
14.	केरल	2.58	248.76	101.29	103.87	62.69	57.23
15.	लद्दाख	8.10	166.65	67.86	75.96	एनआर	0.65
16.	मध्य प्रदेश	1.26	571.60	571.60	572.86	326.65	288.75
17.	महाराष्ट्र	248.12	847.97	345.28	593.40	308.04	428.14
18.	मणिपुर	0.00	67.69	91.17	91.17	28.20	6.60
19.	मेघालय	0.80	86.02	43.01	43.81	26.35	0.77
20.	मिजोरम	0.14	39.87	68.05	68.19	37.41	1.81
21.	नागालैंड	0.00	56.49	56.49	58.44	23.54	4.67
22.	ओडिशा	0.78	364.74	364.74	365.52	275.02	255.02
23.	पुदुचेरी	1.27	2.50	एनडी	1.27	0.97	एनआर
24.	पंजाब	102.91	227.46	227.46	330.37	73.27	78.20
25.	राजस्थान	313.67	1,301.71	1,301.71	1,615.38	620.31	698.54
26.	सिक्किम	0.84	15.41	26.15	27.02	14.71	1.48
27.	तमिलनाडु	1.49	373.87	373.10	378.67	114.58	99.14
28.	तेलंगाना	4.48	259.14	105.52	119.43	88.33	74.46
29.	त्रिपुरा	48.94	107.64	145.37	195.90	59.45	6.46
30.	उत्तर प्रदेश	58.33	1,206.28	1,513.14	1,571.47	639.32	380.10
31.	उत्तराखंड	6.12	170.53	170.53	176.65	110.04	23.02
32.	पश्चिम बंगाल	760.82	995.33	994.75	1,755.57	609.00	445.03

स्रोत: जेजेएम - आईएमआईएस

एनडी: आहरित नहीं

एनआर: सूचित नहीं

जल जीवन मिशन: वर्ष 2020-21 में आबंटित केंद्रीय निधि, आहरित निधि और संसूचित उपयोग

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय हिस्सा					राज्य के हिस्से के तहत व्यय
		अथशेष	आबंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.50	2.93	1.46	1.96	1.45	एनआर
2.	आंध्र प्रदेश	276.76	790.48	297.62	574.38	427.73	180.97
3.	अरुणाचल प्रदेश	57.56	254.85	344.85	402.41	392.43	32.05
4.	असम	452.45	1,608.51	551.77	1,004.22	880.44	90.02
5.	बिहार	257.18	1,839.16	353.60	610.78	551.82	374.42
6.	छत्तीसगढ़	58.17	445.52	334.14	392.31	223.80	221.10
7.	गोवा	0.00	12.41	6.20	6.20	2.99	13.49
8.	गुजरात	5.70	883.08	983.08	988.78	838.50	883.43
9.	हरियाणा	90.80	289.52	72.38	163.18	130.94	120.17
10.	हिमाचल प्रदेश	7.95	326.20	547.48	555.43	329.01	42.25
11.	जम्मू एवं कश्मीर	148.92	681.77	53.72	202.64	88.69	5.17
12.	झारखंड	268.39	572.24	143.06	411.45	286.62	177.73
13.	कर्नाटक	80.42	1,189.40	446.36	526.78	349.62	416.38
14.	केरल	41.18	404.24	303.18	344.36	304.29	311.25
15.	लद्दाख	75.96	352.09	एनडी	75.96	9.43	एनआर
16.	मध्य प्रदेश	246.21	1,280.13	960.09	1,206.30	1,014.70	875.99
17.	महाराष्ट्र	285.35	1,828.92	457.23	742.58	473.59	324.16
18.	मणिपुर	62.96	131.80	141.80	204.76	189.14	18.52
19.	मेघालय	17.46	174.92	184.92	202.48	188.30	20.44
20.	मिजोरम	30.77	79.30	104.30	135.07	107.90	10.13
21.	नागालैंड	34.90	114.09	85.57	120.47	91.95	10.00
22.	ओडिशा	90.50	812.15	609.11	699.61	688.69	673.00
23.	पुदुचेरी	0.30	4.64	1.06	1.38	0.20	1.00
24.	पंजाब	257.10	362.79	एनडी	257.10	146.74	104.95
25.	राजस्थान	995.07	2,522.03	630.51	1,625.58	762.04	789.05
26.	सिक्किम	12.30	31.36	39.36	51.66	43.43	3.75
27.	तमिलनाडु	264.09	921.99	690.36	954.45	576.97	399.57
28.	तेलंगाना	31.10	412.19	82.71	116.32	61.17	133.98
29.	त्रिपुरा	136.46	156.61	117.46	256.52	195.00	22.26
30.	उत्तर प्रदेश	932.16	2,570.94	1,295.47	2,227.63	1,761.06	886.94
31.	उत्तराखंड	66.60	362.58	271.93	338.53	227.32	20.02
32.	पश्चिम बंगाल	1,146.58	1,614.18	807.08	1,953.66	1,196.07	641.17

स्रोत: जेजेएम - आईएमआईएस

एनडी: आहरित नहीं

एनआर: सूचित नहीं

जल जीवन मिशन: वर्ष 2021-22 में आबंटित केंद्रीय निधि, आहरित निधि और संसूचित उपयोग

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय हिस्सा					राज्य के हिस्से के तहत व्यय
		अथशेष	आबंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.52	8.26	2.06	2.58	1.05	एनआर
2.	आंध्र प्रदेश	146.65	3,182.88	791.06	937.71	234.76	235.39
3.	अरुणाचल प्रदेश	9.98	1,013.53	1,555.53	1,565.51	1,114.29	106.62
4.	असम	123.78	5,601.16	4,200.87	4,324.65	2,505.44	312.89
5.	बिहार	58.95	6,608.25	एनडी	58.95	4.00	340.45
6.	छत्तीसगढ़	168.52	1,908.96	477.24	645.76	498.69	488.63
7.	गोवा	3.21	45.53	22.77	25.98	14.03	17.98
8.	गुजरात	150.28	3,410.61	2,557.96	2,708.24	2,124.85	2,226.25
9.	हरियाणा	32.24	1,119.95	559.98	592.22	434.74	431.27
10.	हिमाचल प्रदेश	226.42	1,262.78	2,012.78	2,239.20	1,420.94	146.73
11.	जम्मू एवं कश्मीर	113.96	2,747.17	604.18	718.14	112.43	8.31
12.	झारखंड	124.83	2,479.88	512.22	637.05	437.21	510.99
13.	कर्नाटक	177.16	5,008.80	2,504.40	2,681.56	1,418.56	1,557.92
14.	केरल	40.07	1,804.59	1,353.44	1,393.51	957.44	1,059.57
15.	लद्दाख	66.52	1,429.96	340.68	407.20	124.26	एनआर
16.	मध्य प्रदेश	191.61	5,116.79	3,837.59	4,029.20	2,262.78	2,479.33
17.	महाराष्ट्र	268.99	7,064.41	1,666.64	1,935.63	377.98	477.98
18.	मणिपुर	15.62	481.19	601.19	616.81	474.78	52.80
19.	मेघालय	14.18	678.39	1,078.39	1,092.57	672.05	76.55
20.	मिजोरम	27.17	303.89	303.89	331.06	250.98	32.31
21.	नागालैंड	28.52	444.81	333.61	362.13	345.14	27.88
22.	ओडिशा	10.93	3,323.42	2,492.56	2,503.49	1,306.20	1,289.71
23.	पुदुचेरी	1.18	30.22	7.47	8.66	2.32	0.10
24.	पंजाब	110.36	1,656.39	402.24	512.60	247.83	175.81
25.	राजस्थान	863.53	10,180.50	2,345.08	3,208.61	1,920.16	1,664.02
26.	सिक्किम	8.23	124.79	194.79	203.02	90.12	11.57
27.	तमिलनाडु	377.48	3,691.21	614.35	991.83	457.55	496.23
28.	तेलंगाना	55.15	1,653.09	एनडी	55.15	17.70	68.88
29.	त्रिपुरा	61.51	614.09	714.09	775.60	599.82	65.13
30.	उत्तर प्रदेश	466.56	10,870.50	5,435.25	5,901.81	2,930.07	3,525.40
31.	उत्तराखंड	111.22	1,443.80	1,082.85	1,194.07	597.97	67.40
32.	पश्चिम बंगाल	757.58	6,998.97	1,404.61	2,162.19	1,547.52	725.77

स्रोत: जेजेएम - आईएमआईएस

एनडी: आहरित नहीं

एनआर: सूचित नहीं

जल जीवन मिशन: वर्ष 2022-23 में आबंटित केंद्रीय निधि, आहरित निधि और संसूचित उपयोग
(18.12.2022 की स्थिति के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय हिस्सा					राज्य के हिस्से के तहत व्यय
		अथशेष	आबंटित निधि	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.53	9.15	एनडी	1.53	0.60	एनआर
2.	आंध्र प्रदेश	702.95	3,458.20	एनडी	794.97	392.90	92.02
3.	अरुणाचल प्रदेश	451.21	1,116.35	279.09	794.38	577.03	64.08
4.	असम	1,819.21	6,117.61	1,529.40	3,590.59	2,517.50	241.98
5.	बिहार	54.95	4,766.90	एनडी	82.88	27.93	27.93
6.	छत्तीसगढ़	147.06	2,223.98	1,111.99	2,092.49	1,675.61	833.44
7.	गोवा	11.95	49.98	एनडी	23.79	22.88	11.84
8.	गुजरात	583.39	3,590.16	1,795.08	4,538.79	4,211.44	2,160.32
9.	हरियाणा	157.47	1,157.44	115.75	530.74	491.77	257.52
10.	हिमाचल प्रदेश	818.27	1,344.94	672.47	1,605.13	1,245.28	114.39
11.	जम्मू एवं कश्मीर	605.71	3,039.11	एनडी	640.84	358.64	35.13
12.	झारखंड	199.83	2,825.52	706.38	1,607.46	1,295.54	701.25
13.	कर्नाटक	1,263.00	5,451.85	1,362.96	3,699.68	2,072.31	1,073.72
14.	केरल	436.08	2,206.54	1,103.27	2,420.70	1,765.42	881.35
15.	लद्दाख	282.94	1,555.77	एनडी	282.94	205.31	एनआर
16.	लक्षद्वीप	0.00	36.99	एनडी	0.00	एनआर	एनआर
17.	मध्य प्रदेश	1,766.42	5,641.02	1,410.25	5,092.84	3,838.62	1,916.17
18.	महाराष्ट्र	1,557.65	7,831.25	एनडी	2,410.19	1,675.54	852.54
19.	मणिपुर	142.03	512.05	128.01	291.05	203.50	21.01
20.	मेघालय	420.52	747.76	373.88	870.40	752.46	76.00
21.	मिजोरम	80.08	333.91	166.96	271.59	206.20	24.55
22.	नागालैंड	17.00	484.28	363.21	419.47	298.39	39.26
23.	ओडिशा	1,197.29	3,608.62	866.57	3,023.02	1,938.21	959.16
24.	पुदुचेरी	6.34	17.83	एनडी	6.40	0.22	0.06
25.	पंजाब	264.78	2,403.46	एनडी	359.16	279.10	94.38
26.	राजस्थान	1,288.46	13,328.60	2,749.65	5,413.52	3,929.47	1,375.41
27.	सिक्किम	112.90	136.17	34.04	158.18	130.49	11.24
28.	तमिलनाडु	534.29	4,015.00	एनडी	806.79	488.22	272.50
29.	तेलंगाना	37.44	1,657.56	एनडी	50.96	24.90	13.52
30.	त्रिपुरा	175.78	666.97	500.23	728.21	534.33	52.20
31.	उत्तर प्रदेश	2,971.74	12,662.05	6,331.02	13,910.79	10,162.74	4,608.03
32.	उत्तराखंड	596.09	1,612.50	304.62	973.60	742.81	72.89
33.	पश्चिम बंगाल	614.67	6,180.25	1,036.47	3,024.46	2,433.15	1,373.32

स्रोत: जेजेएम - आईएमआईएस

एनडी: आहरित नहीं

एनआर: सूचित नहीं